कम्प्यूटर परिपत्र सं० 1718025 दिनांक 16-08-2017

पत्र संख्या–स0द0जीएसटी/माल परिवहन/17–18/ 1168 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0
(सचलदल अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 16 अगस्त, 2017

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1/
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0)/
संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक/वि0अनु0शा0/कार्पोरेट)/
उप आयुक्त/असिस्टेन्ट कमिश्नर/राज्य कर अधिकारी

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 68 के प्राविधानों के द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य के माल का परिवहन कर रहे वाहन के प्रभारी व्यक्ति को परिवहन के दौरान माल के साथ राज्य सरकार द्वारा विहित प्रपत्र रखा जाना अनिवार्य किया गया है तथा किसी प्रॉपर आफिसर को ऐसे वाहन को रोककर ऐसे प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देने एवं ऐसे माल की जांच का अधिकार दिया गया है।

उक्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति संख्या क0नि0–2–1014/ग्यारह–9(52)/17–उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश–(31)–2017 दिनांक 21 जुलाई, 2017 द्वारा अलग–अलग परिस्थितियों में माल के संचलन या अभिवहन भण्डारण में होने पर माल के साथ ई–वे–बिल 01, ई–वे–बिल 02, ई–वे–बिल 03 एवं टी0डी0एफ0–01 रखा जाना विहित किया गया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर नियमावली 2017 के प्राविधानों के अनुसार पंजीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा करयोग्य माल की सप्लाई हेतु 3 प्रतियों में टैक्स इनवायस जारी किये जाने का प्राविधान करते हुए द्वितीय प्रति ट्रान्सपोर्टर हेतु विहित की गयी है।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 तथा केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 129 के प्राविधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अधिनियम अथवा नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए माल का परिवहन अथवा परिवहन के दौरान माल का भण्डारण करता है तो ऐसे माल तथा ऐसे माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त परिवहन का साधन (वाहन) एवं माल से सम्बंधित प्रपत्रों को डिटेन या अभिग्रहीत किया जा सकेगा तथा डिटेन्शन अथवा अभिग्रहण से पूर्व इस सम्बंध में परिवहन कर रहे व्यक्ति को डिटेन्शन या अभिग्रहण सम्बंधी आदेश प्राप्त कराया जायेगा तथा माल एवं वाहन के डिटेन्शन या अभिग्रहण के पश्चात् देयकर एवं देयकर के सौ प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड की धनराशि जमा कराकर अवमुक्त की जायेगी यदि माल स्वामी स्वयं ऐसे कर व अर्थदण्ड के भुगतान हेतु सामने आता है। माल स्वामी के कर व अर्थदण्ड के भुगतान हेतु सामने न आने पर देयकर एवं माल के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड की राशि जमा कराकर माल अवमुक्त किया जायेगा। माल के मूल्य के समतुल्य का बान्ड प्ररूप जी0एस0टी0 आईएनएस–04 में एवं देयकर, ब्याज व अर्थदण्ड की धनराशि के समतुल्य की